निभाई जाने वाली भूमिका का पूरा ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में गठित किया गया था । 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 1986-87 से 1990-91 तक औसतन वार्षिक बजट 386 करोड़ रूपये तथा 1991-1992 से 1994-95 तक 712 करोड़ रूपये था ।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में पूरी अलाभान्वित ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना है । लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये गये हैं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धि इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1992–93	33,533	34,360	102
1993–94	40,187	34,221 (फरवरी '94 तक)	85

(च) मिशन की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

— राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को ग्रामीण सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम लघु मिशन तथा उप-मिशन के तहत केन्द्रीय सहायता द्वारा राज्य सेक्टर के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके प्रयासों को बढ़ाने हेतु तकनीकी दिशानिर्देश/सहायता मुहैया कराना;

— जल गुणता निरीक्षण और सुधार;

— वैज्ञानिक स्रोतों की खोज, जल का अर्जन तथा जल संरक्षण का सर्वेक्षण;

— उन जिलों में प्रयोगशालाएं गठित करना, जहां ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

— संचालन तथा अनुरक्षण सुधार, सामुदायिक भागीदारी तथा राज्यों में सूचना शिक्षा तथा दूरसंचार सेल (आई.ई.सी.) की स्थापना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली पड़ी दुकानें, फ्लैट तथा व्यापारिक परिसर

5178. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली पड़ी दुकानों, फ्लैटों तथा व्यापारिक परिसरों की संख्या कितनी है;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर कब से खाली पड़े हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन दुकानों, फ्लैटों तथा अन्य व्यापारिक परिसरों की बिक्री के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) एक दुकान, फ्लैट आदि की निर्माण लागत कितनी है तथा इसका निर्धारित आरक्षित मूल्य और बिक्री मूल्य कितना है;

(ङ) जिस भूमि पर इन दुकानों और फ्लैटों का निर्माण किया गया है वह कब खरीदी गई थी और दुकान, फ्लैट के लिए तथा सामूहिक आवास समितियों को यह जमीन किस मूल्य पर दी जा रही है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनाफा कमाए जाने के कारण क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1-4-93 को सर्वे के दौरान 3850 दुकानें खाली पाई गई थी । इस समय 98 वाणिज्यिक भूखण्ड खाली पड़े हैं । फ्लैटों के मामले में आंकड़े समय-समय पर बदलते रहते हैं क्योंकि उनका निर्माण, आबंटन और कब्जा लेना एक सतत प्रक्रिया है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 3850 दुकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है । (नीचे देखिए) 1-4-90 से 31-3-94 तक खाली पड़ी और बनी हुई 2661

सम्पदाओं का ब्यौरा विवरण-4 में है । (नीचे दीरिए) शेष सम्पदाएं 4 साल पहले की बनी हुई हैं । जहां तक फ्लैटों की बात है उनके खाली होने की स्थिति लगातार बदलती रहती है क्योंकि आबंटन की कार्यवाही भी लगातार बदलती रहती है ।

दुकानों और भूखण्डों के न बिकने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) सम्पदा बाजार में मन्दी

(2) धन की मंडी में नकद पैसा न होना

(ग) इन दुकानों की समय-समय पर कई बार नीलामी रखी गई । जनवरी—मार्च, 1994 के दौरान भी कुछ दुकानों की रिजर्व कीमत बढ़ाकर नीलामी रखी गई थी ।

जहां तक फ्लैटों की बात है उनका निर्माण/आबंटन लगातार होते रहने के कारण सवाल नहीं उठता । किसी फ्लैटों के आबंटी द्वारा मंजूर न किये जाने पर उसकी पेशकश पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य लोगों को की जाती है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन लाभ-हानि रहित आधार पर किया जाता है । फ्लैटों की कीमत डी.डी.ए. द्वारा समय-2 पर लिये गये निर्णय के आधार पर की जाती है। फ्लैटों की कीमत में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं :—

(1) जमीन की कीमत और उसकी विकास लागत ।

(2) निर्माण लागत

(3) भीतर-बाहर बिजली व्यवस्था

(4) बागवानी कार्यकलाप

(5) ब्याज (जहां लागू है) और अन्य ऊपरी खर्च ।

फ्लैटों की बिक्री लागत स्कीम-बार अलग-अलग होती है जो स्कीम में शामिल पूरे क्षेत्र तथा प्रत्येक फ्लैट के कुर्सी क्षेत्र पर निर्भर होती है ।

दुकानों की रिजर्व कीमत शुरू में फ्लैटों की बिक्री कीमत की तरह होती थी, किन्तु अब सभी इलाकों/कालोनियों में इनकी रिजर्व कीमतें समान हैं। इस प्रकार निर्धारित रिजर्व कीमत 6 महीने बाद संशोधन पर निर्भर करती है। इसके बाद एकदम पूर्व वर्ष में समान या समीपस्थ क्षेत्र के औसत नीलामी मूल्य में कुछ प्रतिशत कटौती करके रिजर्व कीमत निकाली जाती है किन्तु उसके साथ यह शर्त होती है कि इस प्रकार नियत रिजर्व कीमत मूल्य रिजर्व कीमत से कम नहीं हो ।

दुकानें सामान्यतः नीलामी द्वारा बेची जाती हैं और सामान्यतः ऊंची बोली को स्वीकार कर लिया जाता है । नीलामी बोलियां समय-समय पर दुकानों की स्थिति और प्रचलित बाजार शक्तियों के आधार पर अलग-2 होती हैं । ये दुकानें कुछ विशिष्ठ वर्गों जैसे विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अधिग्रहीत भूमि के पूर्व मालिकों आदि को रिजर्व कीमत पर भी आबंटित की जाती हैं जो उनके प्रसंग में बिक्री मूल्य कहलाता है ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों और फ्लैटों का निर्माण समय-समय पर अधिग्रहीत भूमि पर किया जाता है और भू-अधिग्रहण की कार्यवाही सन् 1962 से चली आ रही है ।

भूमि की वसूली कीमत इस प्रकार है :—

(1) दुकानें—वर्ष 1993-94 के लिये यह औसत नीलामी दर पर रखी गई है जिसमें न्यूनतम 1861/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर है ।

(2) फ्लैट—इस प्रसंग में भूमि की कीमत औसतन 550—1850 रुपये प्रति

वर्ग मीटर के बीच रहती है जो वर्ष 1993-94 में फ्लैट की श्रेणी और स्थिति के अनुसार है ।

(3) आवास स्कीम--इसके प्रसंग में भूमि दर 1700--1861 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच परियोजना कार्यक्रम के आधार पर रही है ।

(च) सामूहिक आवास स्कीम और अन्य दूकानों के प्रसंग में भूमि दरों पर कोई मुनाफा नहीं लिया जाता लेकिन वाणिज्यिक भूमि की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल कमजोर वर्गों को दिए गए अनुदान तथा संस्थाओं और सार्वजनिक निकायों को रियायती दरों पर आबंटित भूमियों की क्षतिपूर्ति में किया जाता है ।

विवरण I

1-4-1994 के स्थिति के अनुसार खाली दुकानों की सूची :

क्रम सं०	जोन		दूकानों की संख्या
1.	पश्चिम जोन	:	1101
2.	उत्तर जोन	:	643
3.	रोहिणी जोन	:	867
4.	पूर्वी जोन	:	607
5.	दक्षिण-पूर्वी जोन	:	451
6.	दक्षिण-पश्चिम जोन	:	170
		योग :	3850

क्रम सं०	स्कीम	दुकान का नाम	कब से खाली है
1	2	3	3
1.	रेलवे बोर्ड कालोनी में ब्लाक-ए आनन्द विहार में सी० एस० सी० (स्कीम सं० 667)	2	6-4-90
2.	आनन्द विहार रेलवे कालोनी पाकेट -डी० सी० एच० बी० एस० में सी० एस० सी०	3	-वही-
3.	पश्चिमपुरी पाकेट जी० एच० 9/जोन 17 से 688 एल० आई० फलैटों में सी० एस० सी०	4	-वही-
4.	कोण्डली घरौली सैक्टर-बी में सी० एस० सी० नं०1 (स्कीम सं० 5003)	4	-वही-
5.	कोण्डली घरौली कम्पलैक्स सेक्टर -बी में सी० एस० सी० नं० 2)स्कीम नं० 5004)	1	-वही-
6.	नन्द नगरी पाकेट - एफ० (स्कीम सं० 1248)में सी० एस० सी०	4	-वही-
7.	रोहिणी सेक्टर -4 सी० एस० सीं० नं० 4	13	20-4-90
8.	दिल्ली टीचर्स सोसायटी सी० एच० बी० एस० स्कीम सं० 673 में सी० एस० सी० नं० 2	3	-वही-
9.	दिलशाद गार्डन पाकेट -1 में सी० एस० सी०	8	-वही-

1	2	3	4
10.	पुष्पांजलि एन्क्लेव ब्लाक– डी पीतमपुरा में सी० एस० सी०	9	11–5–90
11.	पश्चिमपुरी ब्लाक ए–4 सी० आई० ई० एम्पलाई सी० एच० बी० एस० के पास सी० एस० सी०	4	–वही–
12.	पश्चिमपुरी पाकेट जी० एच० 13/ जी 17 के लिए एस० एफ० एस० मकान साईट नं०1 में सी० एस० सी०	1140 5	25–4–90
13.	पीतमपुरा पाकेट एच० (यू०) ये मे सी० एस० सी०	2	–वही–
14.	बसन्तकुज पाकेट –9 सेक्टर –सी० में सी०एस० सी०	5	–वही–
15.	दिलशाद गार्डन पाकेट ए में सी० एस० सी०	3	–वही–
16.	पश्चिमपरी साईट नं० 2 में पाकेट जी० एच० 14/17 में 1200 मकानों पर सी० एस० सी०	2	19–6–90
17.	बसन्तकुंज पाकेट–1 सेक्टर–बी में सी० एस० सी०	3	12–7–90
18.	पीतमपुरा पाकेट क्यू (डी०) में सी० एस० सी०	8	27–7–90
19.	बसन्तकुंज डबल स्टोरी बिल्डिंग पाकेट–1 सेक्टर–बी में सी० एस० सी०	2	30–7–90
20.	बसन्त कुंज सेक्टर –डी पाकेट –2 में सी० एस० सी०	3	9–8–90
21.	वजीरपुर फेज –4, एस० एफ० एस० पाकेट–ए में सी० एस० सी०	3	9–8–90
22.	रोहिणी सेक्टर –8 शोपिंग सेंटर नं 4	17	–वही–
23.	पीतमपुरा पाकेट – ए (पी) में सी० एस० सी०	1	3–8–90
24.	बसन्त कुंज सेक्टर – डी पाकेट –4 में सी० एस० सी०	2	21–9–90
25.	विकासपुरी ब्लाक –ई में एल० एस० सी०	20	3–1–91
26.	भारत सरकार मुद्राणालय मायापुरी के पीछे 288 एस० एफ० एस० में सी० एस० सी०	3	21–1–91
27.	शालीमार बाग ब्लाक– बी (एच०) में सी० एस० सी	6	15–10–90
28.	शालीमार बाग ब्लाक –बी (एस०) में सी० एस० सी	14	–वही–
29.	विकासपुरी डिस्ट्रिक पार्क के पास ब्लाक –सी में सी० एस० सी०	4	11–2–91
30.	छोटी सब्जी मण्डी में 275 स्टालस्	275	24–3–92
31.	पश्चिमपुरी 304 एल० आई० जी० मकानों में ए–1/बी० में सी० एस० सी०	9	4–3–92
32.	कालका जी विस्तार पाकेट –ए 3 में सी० एस० सी०	2	–वही–

1	2	3	4
33.	शालीमार पाकेट एफ ब्लाक – बी में सी० एस० सी०	3	5–3–92
34.	पटपड़ गंज जोन – ई० 13 से सी० एस० सी० नं० 1	3	–वही–
35.	अशोक विहार फेज 4 पाकेट –बी और सी में सी० एस० सी०	4	17–3–92
36.	नन्द नगरी पाकेट –ई में सी० एस० सी०	1	–वही–
37.	पी० एन० बी० सी० एच० बी० एस०/ जोन ई० 8 और 13 में सी० एस० सी०	15	–वही–
38.	बसन्त कुंज (डबल स्टोरी बिल्डिंग) सेक्टर –सी पाकेट – 8 में सी० एस० सी० नं० 7	1	–वही–
39.	जागृति एन्कलेव सी० एच० बी० एस० जोन 10–11 में सी० एस० सी०	11	20–3–92
40.	बसन्त कुंज पाकेट–8–9 सेक्टर–बी में सी० एस० सी०	7	–वही–
41.	पीतमपुरा (पार्ट) एच० 4/एच० 5 सैनिक विहार में सी० एस० सी०	8	30–4–92
42.	पीतमपुरा के (डी) में सी० एस० सी०	3	–वही–
43.	रोहतक रोड मीयां वाली सी० एच० बी० एस०–ए० में सी० एस० सी०	2	27–5–92
44.	पीतपुर –5 में (पी०) में सी०एस०सी०	30	24–6–92
45.	पीतमपुरा पाकेट टी० पी० में सी० एस० सी०	10	–वही–
46.	राजधानी एन्कलेव पीतमपुरा में सी एस० सी०	10	27–7–92
47.	गुलाबी बाग में सी० एस० सी०	3	25–8–93
48.	न्यू० राजेन्द्र नगर के प्लाट नं० 22 की पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पर सी० एस० सी०	2	25–8–92
49.	लारेंस रोड पाकेट–बी 4 में सी० एस० सी०	13	11–8–92
50.	रोहिणी सेक्टर 13 में सी० एस० सी० नं० 2	3	21–9–92
51.	शालीमार बाग ब्लॉक–सी पाकेट-सी में सी० एस० सी०	15	26–9–92
52.	गोपाल पुर में सी० एस० सी०	15	01–10–92
53.	पश्चिमपुरी हिन्दुस्तान सी० एच० बी० एस० में सी० एस० सी०	6	11–11–92
54.	शालीमार बाग ब्लाक –बी (टी) में सी० एस० सी०	2	12–11–92
55.	झण्डेवालान (अनारकली बाजार फेज–2 साईकिल मार्किट)	95	16–11-92

1	2	3	4
56.	शालीमार बाग ब्लाक ए–डी में सी० एस० सी०	25	13–11–92
57.	मयूर विहार त्रिलोक पुरी पाकेट–1 सामने एल०एस०सी०	1	24–11–92
58.	रोहिणी सेक्टर–18 ब्लाक–बी में सी०एस०सी० नं० 2	17	27–11–92
59.	जाफराबाद पाकेट ए में सी० एस० सी०,	13	3–12–92
60.	रोहिणी सेक्टर –9 में सी० एस० सी० नं० 2	4	25–9–92
61.	रोहिणी सेक्टर –3 में सी० एस० सी० नं० 8	24	30–11–92
62.	रोहिणी फेज–1 सेक्टर –6 में सी० एस० सी० नं० 2	11	7–12–92
63.	भिरोची पश्चिमपुरी में सी० एस० सी०	17	14–12–92
64.	पश्चिमपुरी साईट नं० 1 पाकेट जी० एच० 5 और 7 जोन जी–17 में सी० एस० सी०	27	23–12–92
65.	झिलमिल फेज –2 पाकेट ए में सी० एम० सी०	7	23–12–92
66.	कोण्डली घरौली कम्पलैक्स में सी० एस० सी० नं० 2	5	7–01–93
67.	पश्चिमपुरी पाकेट जी० एच० 5 और 7/जी 17 में सी० एस० सी०	8	4–01–93
68.	रोहिणी सेक्टर –15 में सी० एस० सी० नं० 9	24	––वही––
69.	दिलशाद गार्डन पाकेट – एल में सी० एम० सी०	3	1–1–93
70.	रोहिणी सेक्टर –16 में सी० एस० सी० नं० 6	16	28–1–93
71.	कोण्डली, घरौली कम्पलैक्स सेक्टर–ए में सी० एस० सी० नं० 1	15	14–1–93
72.	रोहिणी सेक्टर –16 ब्लाक ए में सी० एस० सी०	12	20–1–92
73.	प्रीत विहार ब्लॉक जी में सी० एस० सी०	4	12–3–93
74.	दयानन्द विहार जोन 9–10 –11 में सी० एस० सी०	2	12–3–93
75.	समाज दिपाली पीतमपुरा यू० (पी०) में सी० एस० सी०	7	––वही––
76.	रोहिणी सेक्टर –11 में सी० एस० सी० नं० 3	51	––वही––
77.	रोहिणी सेक्टर 16 में ब्लाक –बी में सी० एस० सी० 12	20	1–3–93
78.	पीतमपुरा पाकेट एम० डी० में सी० एस० सी०	3	15–3–93
79.	रोहिणी सेक्टर –7 में सी० एस० सी० नं० 9	64	26–3–93
80.	पीतमपुरा पाकेट डब्ल्यू० पी० में सी० एस० सी०	12	31–3–93
81.	मोतयाखान में सी० एस० सी०	12	31–3–93
82.	रोहिणी सेक्टर–11 में सी०एस०सी० नं० 5	35	–वही–

1	2	3	4
83.	रोहिणी सेक्टर–17 में सी०एस०सी० नं० 1	57	31–3–93
84.	पुष्पाजंली एन्कलेव में सी०एस०सी०	41	–वही–
85.	सरिता विहार में पाकेट एच० प्लाट नं० 5,10,11 में सी०एस०सी०/एल०एस०सी०	37	14–5–93
86.	अशोक विहार फेज–सी (एम०सी०डी०) (इंजी० सोसायटी के पास) में सी०एस०सी०	10	12–4–93
87.	जे० जे० कालोनी मंगोलपुरी में एल०एस०सी०	13	2–11–93
88.	शेर सराय में सामुदायिक केन्द्र	66	24–11–93
89.	कालका जी (पुनर्वास मंत्रालय की भूमि) में साईट नं० 42 में एल०एस०सी०	48	24–12–93
90.	कालका जी (पुर्नवास मंत्रालय की भूमि) में साईड नं० 37, 38 में सी एस०सी०	32	23–12–93
91.	वसन्त कुंज पाकेट–9 सेक्टर–सी में एल०एस०सी०	12	22–12–93
92.	सरिता विहार पाकेट–डी० और ई० में सी एस०सी०	22	22–12–93
93.	बेर सहाय में वाणिज्यिक और स्टाफ हाउसिंग परिसर	17	31–12–93
94.	ज्वालाहेड़ी पश्चिम विहार में 11 दुकानें	6	23–12–93
95.	पश्चिमपुरी जी०एच० 4/जी० 17 में सी०एस०सी०	27	17–1–93
96.	राजेन्द्र नगर में प्लाट नं० 18 और 20 और लेवल 761.50 के बीच दुकानें	26	28–12–93
97.	रोहिणी सेक्टर–13 में सी०एस०सी० नं० 9	53	–वही–
98.	विकासपुरी ब्लाक एच० में एल०एस०सी०	80	28–12–93
99.	एस०बी० मिल्स (सी०एच०बी०एस०) के पास पश्चिमपुरी ब्लाक–ए4 सी०एस सी०	31	17–1–94
100.	हस्तसाल ब्लाक सी० में सी०एस०सी०	26	–वही–
101.	पश्चिमपुरी ब्लाक–एन पाकेट जी० एच० 9 में एल०एस०सी०	67	11–1–94
102.	मयूर विहार पाकेट–ई में सी०एस०सी०	23	–वही–
103.	सैनी एन्कलेव में सी एस०सी०	22	17–1–94
104.	पश्चिमपुरी में सी०ए० अपार्टमेंट के पास ब्लाक ए–6 में सी०एस०सी०	26	17–1–94
105.	बोडेला फेज–2 गलैक्सी सोसायटी जी०एच०एस० के पास सी० एस० सी०	40	15–12–93

1	2	3	4
106.	रोहिणी सेक्टर–16 में सी० एस० सी० नं० 7	45	3–2–94
107.	जहांगीर पुरी 656 एल० आई० जी० मकानों में सी० एस० सी०	32	11–1–94
108.	शास्त्री पार्क में सी० एस० सी०	26	25–2–94
109.	कोण्डली घरौली सेक्टर–बी० में सी० एस० सी० नं० 4	20	25–2–94
110.	बिन्दापुर पाकेट–4 में सी० एस० सी०	20	19–1–94
111.	हस्तसाल पाकेट– बी में सी० एस० सी०	21	17–1–94
112.	नरेला सेक्टर– ए–9 में सी० एस० सी०	29	23–2–94
113.	शालीमार बाग ब्लाक – बी आर में सी० एस० सी०	10	23–2–94
114.	पश्चिमपुरी ए–6 में एल० एस० सी०	65	29–12–93
115.	पश्चिमपुरी बी जी 3, 5 में सी० एस० सी०	25	31–3–94
116.	राजौरी गार्डन जी–8 ब्लाक जे क्षेत्र में प्लाट नं 8, 9, 10 में दुकानें	140	24–1–94
117.	राजेन्द्र नगर में प्लाट नं 9, 13, 14, 15 में शापिंग सेन्टर	53	–वही–
118.	जनकपुरी में प्लाट नं० 32 से 57 में दुकानें/कार्यालय	112	–वही–
119.	पश्चिमपुरी हिन्दुस्तान में सी० एस० सी०	40	25–3–94
120.	रोहिणी सेक्टर –16 में सी० एस० सी० नं० 13	41	19–1–94
	योग :	2661	

इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना

5179. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री 27 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4593 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डिया गेट या इसके निकट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : इण्डिया गेट और नेशनल स्टेडियम के बीच अगस्त क्रान्ति उद्यान के रूप में विकसित किए जा रहे क्षेत्र में स्थापित करने हेतु तैयार की गई महात्मा गांधी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर में लगा दिया गया है ।

सरकार ने इण्डिया गेट के निकट केनोपी और नेशनल स्टेडियम के बीच के स्थान पर समिति ने प्रतिमा का लघु रूप तैयार करने प्रतिमा बनवाने का निर्णय लिया है । प्रतिमा की अभिकल्पना बनाने के लिए एक अभिकल्प समिति गठित की गई है । समिति ने प्रतिमा को लघु रूप तैयार करने हेतु 10 विख्यात वास्तुकारों का चयन किया है तथा कुछ लघु रूप प्राप्त हो गए हैं जिन्हें रूपरेखा समिति को उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।